श्रीमान अध्यक्ष,
फीस निर्धारण समिति,
जयपुर।

विषय : सत्र् 2014–15 की फीस निर्धारण के सम्बन्ध में
प्रसंग : आपके कार्यालय के पत्रांक का अ/फीनिस/फीस निर्धारण/प–10/2014/दिनांक 24.6.2014

महोदय,

आपका प्रसंगांकित पत्र दिनांक .... को प्राप्त हुआ।
निवेदन निम्न प्रकार है :

(1) यह कि आपके प्रसंगांकित पत्र द्वारा सत्र् 2012–13 के आधार पर 2014–15 के लिए विद्यालय की फीस निर्धारित की गई है, उस पर आपत्ति है, स्वीकार नहीं है।

(2) आपके द्वारा निर्धारित की गई फीस स्वीकार न होने के कारण पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र में आय–व्यय एवं प्रस्तावित फीस विवरण भर कर उसकी हार्ड कॉपी प्रेषित है, कृपया फीस निर्धारण कर सूचित करें।

(3) निर्धारित प्रपत्र में सीए द्वारा सत्यापन हेतु प्रपत्र गलत होने के कारण स्वीकार नहीं है। क्योंकि सीए द्वारा विद्यालय में प्राप्त कुल फीस का ब्यौरा दिया जाता है, कक्षावार फीस नहीं दी जाती है। न ही सीए द्वारा सत्यापित की जा सकती है। ऑडिट रिपोर्ट 2012–13 प्रस्तुत की जा रही है।

(4) 2015–16 एवं 2016–17 में 15 प्रतिशत विद्यालय विकास हेतु एवं 10 प्रतिशत या महंगाई सूचकांक के आधार पर फीस वृद्धि की अनुमति प्रदान करते हुए 2014–15 की फीस का न्याय संगत निर्धारण करने की कृपा करें।

भवदीय

(सचिव)

नोट – यदि आप पोर्टल भरना चाहे तो हार्डकापी इस पत्र के साथ संलग्न करें।